संख्या-43/2025/160/60-1-2025 (सी-1801084)

प्रेषक,

प्रेम प्रकाश सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 05 अगस्त, 2025**

विषय:- मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अन्तर्गत जनपद-गोरखपुर तथा कानपुर देहात में प्रस्तावित गृहों के भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-932-33/निदे0म0क0/प्रोबे0/मु0बा0आ0यो0/टी0सी0-भवन निर्माण/2025-26, दिनांक 09.07.2025 एवं पत्र संख्या-934/निदे0म0क0/प्रोबे0/मु0बा0आ0यो0 /भवन निर्माण/2025-26, दिनांक 09.07.2025 तथा पत्र संख्या-935/निदे0म0क0/प्रोबे0/मु0 बा0आ0यो0/भवन निर्माण/2025-26, दिनांक 09.07.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अन्तर्गत जनपद-गोरखपुर एवं कानपुर देहात में 100-100 की क्षमता के राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), किशोर न्याय बोर्ड सहित, के भवन निर्माण हेतु नामित कार्यदायी संस्था- कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन प्रस्ताव के सापेक्ष पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित/संस्तुत धनराशि के क्रम में संशोधित कार्य योजना उपलब्ध कराते हुए प्रश्नगत योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 1000.00 लाख के सापेक्ष जनपद-गोरखुपर एवं कानपुर देहात हेतु रू0 500.00 लाख + 500.00 लाख अर्थात कुल रू0 1000.00 लाख (रूपये दस करोड़ मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति "अनुदान संख्या-49 में व्यवस्थित लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-07-मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अन्तर्गत राजकीय संस्थाओं/गृहों का भवन निर्माण के मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य" के अन्तर्गत निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में शासन के पत्र संख्या-1040344/60-1099/49/2024, दिनांक 29.07.2025 द्वारा निर्गत कार्ययोजना के दृष्टिगत वर्तमान आय-व्ययक वर्ष 2025-26 के "अनुदान संख्या-49 में व्यवस्थित लेखाशीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-07-मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अन्तर्गत राजकीय संस्थाओं/गृहों का भवन निर्माण के मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य" मद में प्राविधानित धनराशि से जनपद-गोरखपुर एवं कानपुर देहात में प्रस्तावित गृहों के भवन निर्माण हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी0एफ0ए0डी0) द्वारा प्रश्नगत परियोजना की मूल्यांकित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में निम्न तालिकानुसार वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए निम्नलिखित शर्तों /प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

योजना का नाम / लेखाशीर्ष	बजट प्रावधान	प्रस्तावित परियोजना	पीएफएडी द्वारा मूल्यांकित लागत	निदेशालय द्वारा प्रस्तावित धनराशि	शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि
4235-02-103-07-मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अन्तर्गत राजकीय संस्थाओं/गृहों का भवन निर्माण 24-वृहद निर्माण कार्य"	1000.00	जनपद गोरखपुर में राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), किशोर न्याय बोर्ड सहित (क्षमता 100) निर्माण कार्य	1487.05	500.00	500.00
		जनपद कानपुर देहात में राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), किशोर न्याय बोर्ड सहित (क्षमता 100) निर्माण कार्य	1505.30	500.00	500.00
योग-				1000.00	1000.00

(रूपये दस करोड़ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत के अन्तर्गत उल्लिखित शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) निदेशक, महिला कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, महिला कल्याण की होगी।

(4) निदेशक, महिला कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।

(7) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(8) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(12) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, महिला कल्याण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा।

(13) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित राज्य सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) योजनान्तर्गत बाटआउटस आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा।

(15) प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु निर्विवादित भूमि की उपलब्धता एवं अन्य विभागों से क्लीरियन्स प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा।

(16) प्रश्नगत प्रस्तावित गृहों के भवन निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित मानचित्रों एवं उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुसार कराये जाने का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा।

(17) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों से सम्बन्धित सामग्री की लागत प्रायोजना में उपभोग (CONSUMED) की गयी सामग्री यथा सीमेन्ट स्टील इत्यादि की मात्राओं का अनुपातिक मिलान करते हुए जी०एस०टी० भुगतान किया जाये।

(18) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी०पी०आर० गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(19) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

(20) प्रयोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(21) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के शासनादेश सं0-5/2021 File No-65-2013/2/2019-2, दिनांक 15-01-2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in India, 2021" दिये गये प्रावधानों के अनुसार निदेशक, महिला कल्याण/कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(22) प्रायोजनान्तर्गत थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु सिविल कार्यों की लागत पर 0.5 प्रतिशत की दर से धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है। थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु निदेशक, महिला कल्याण द्वारा प्रतिष्ठित एवं अनुभवी संस्थान का चयन किया जाये। चयनित संस्था द्वारा न्यनूतम 5 बार स्थलीय निरीक्षण कार्य किया जायेगा तथा प्रत्येक निरीक्षण कार्य करने के उपरान्त निदेशक, महिला कल्याण एवं कार्यदायी संस्था को स्थलीय रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। उक्त रिपोर्ट से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरान्त ही निदेशक, महिला कल्याण द्वारा क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु चयनित संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(23) प्रायोजनान्तर्गत वाह्य विद्युत संयोजन हेतु रू0 10.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व विद्युत संयोजन हेतु यू०पी०पी०सी०एल० से विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाय तथा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाय।

(24) पी0एफ0ए0डी0 द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, महिला कल्याण का होगा।

(25) पी0एफ0ए0डी0 द्वारा प्रायोजना की लागत का आकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(26) पी0एफ0ए0डी0 द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढना, प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(27) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, महिला कल्याण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न तो वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(28) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा प्रश्नगत परियोजनाओं के निर्माण हेतु आंकलित लागत पर पैरा-94 के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(29) प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु आवश्यक धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा।

(30) प्रस्तुत कार्य योजना के संबंध में योजना की गाइडलाइन्स/मानक के अनुसार भूमि आदि की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा।

(31) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 ज्येष्ठ वास्तुविद, तृतीय इकाई, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-84एस0ए0-3/67 एस0ए0-3/2025, दिनांक 09.05.2025 द्वारा मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रस्तावित भवनों के मानचित्रों का अनुमोदन कतिपय प्रतिबन्धों के साथ किया गया है। उक्त पत्र में उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-049 लेखाशीर्षक-4235021030700 मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अन्तर्गत राजकीय संस्थाओं/गृहों का भवन निर्माण मानक मद-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-E-4-**48**-X-2025-26 दिनांक:01-08-2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

भवदीय,

(प्रेम प्रकाश सिंह)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 सिविल लाइन्स, प्रयागराज।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
7- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।